रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 25, 1974/माघ 5, 1895
No. 17] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 25, 1974/MAGHA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FINANCE
### (Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

*New Delhi, the 25th January* 1974

**G.S.R. 22(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 36-Customs, dated the 1st May, 1971, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(f) samples of goods manufactured in the Zone, if cleared for the purpose of display and canvassing outside the Zone but in any other part of India, on payment of appropriate duty, in such quantity and subject to such limitations and conditions as may be specified by the Development Commissioner of the Zone;

(g) sub-standard goods arising in the course of manufacture of goods within the Zone, if cleared, on payment of appropriate duty for home consumption outside the Zone in such quantity and subject to such limitations and conditions as may be specified by the Development Commissioner of the Zone.".

[No. 5/F. No. 370/29/73-Cus I.]

S. NARAYANAN, Dy. Secy.

## वित्त मंत्रालय

### (राजस्व और बीमा विभाग)

### अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1974

**सा०का०नि० 22 (अ).**— केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 36—सीमा शुल्क, तारीख 1 मई, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ख) जोन में विनिर्मित माल के नमूने, यदि उनकी निकासी जोन के बाहर किन्तु भारत के किसी भी अन्य भाग में प्रदर्शन और पक्ष-प्रचार के प्रयोजन के लिए, समुचित शुल्क के संदाय पर, ऐसी मात्रा में और ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए की जाती है जो जोन के विकास आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(छ) जोन के भीतर माल के विनिर्माण के दौरान बनने वाले निम्नस्तर माल, यदि उनकी निकासी, समुचित शुल्क के संदाय पर, जोन के बाहर गृह उपभोग के लिए ऐसी मात्रा में और ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए की जाती है जो जोन के विकास आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।"।

[सं० 5/फा० सं० 370/29/73—सी० शु० I]

एम० नारायणन, उप सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974